


तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक ०४.०२.२०२० को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



प्रमाणित प्रतिलिपि

टिडर

उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

(कपिल शर्मा)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

मिलान किया

d

.....